



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 22422 वर्ष 2026

सुभाष पाल उर्फ डॉ. सुभाष पाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनुपमा त्रिपाठी, राकेश कुमार त्रिपाठी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीया न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार त्रिपाठी और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन आपराधिक वाद संख्या 3345 वर्ष 2022 (राज्य बनाम सुभाष पाल) और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23.06.2023, आरोप पत्र दिनांक 02.12.2022 के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.12.2022 से सम्बंधित मामला अपराध संख्या 355 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता और धारा 15(2) एवं 15(3) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, पुलिस स्टेशन-असमोली, जिला संभल, चंदौसी से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 3345 वर्ष 2022 (राज्य बनाम सुभाष पाल) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संभल के न्यायालय में लंबित है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उक्त मामले की पूरी कार्यवाही, आरोप पत्र और संज्ञान/समन आदेश को चुनौती देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को 25.9.2020 को निरसित कर दिया गया है और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। इसके बावजूद, निरसित अधिनियम के अंतर्गत 02.12.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें निरसित अधिनियम के अंतर्गत 06.05.2023 को आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था और इतना ही नहीं, संबंधित न्यायालय ने निरसित किए गए अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान भी दिनांक 23.06.2023 को लिया था और एक बार जब किसी विशिष्ट अधिनियम को निरसित कर दिया गया है, तो आवेदक के विरुद्ध अभियोजन जारी रखने की प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कानूनी आधारों पर कोई विवाद नहीं किया।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कानूनी तर्क उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसके अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है, को 25.9.2020 को निरसित कर दिया गया है और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 60 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“धारा 60 - (1) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त तिथि से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 वर्ष 1956) निरसित हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद भंग हो जाएगी।”

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि निरसित अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई या संज्ञान वास्तव में अमान्य है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का संबंध है, उक्त विशेष अधिनियम के अपराध के संबंध में आवेदक पर यह धारा अधिरोपित की गई है।

7. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23.06.2023 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) और 15(3) के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 3345 वर्ष 2022 (राज्य बनाम सुभाष पाल), पुलिस स्टेशन-असमोली, जिला संभल, स्थित चंदौसी, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संभल के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को केवल आवेदक के संबंध में एतद्वारा रद्द किया जाता है।

8. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसा आवश्यक हो, तो ऊपर चर्चा की गई प्रक्रिया के पूर्ण अनुपालन में, यह आदेश सक्षम प्राधिकारियों को आवेदक के विरुद्ध मामले को पुनः आरंभ करने से नहीं रोकेगा।

5 जून, 2026

निशा

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।